



भारत में शिक्षा

अब तक आप कला, स्थापत्य, धर्म और विज्ञान जैसे संस्कृति के विभिन्न घटकों के बारे में पढ़ रहे थे। हमारी संस्कृति का एक और महत्वपूर्ण पहलु शिक्षा है। लेकिन शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? शायद आप कहें कि इसका मतलब किताबें पढ़कर या विद्यालय जाकर कुछ सीखना है। यह कुछ हद तक सही है। सीखने के अनुभव का नाम शिक्षा है। पर हम जीवन में हर पल सीखते रहते हैं। बहरहाल, जहाँ तक सीखने के दूसरे अनुभवों की बात है वे अपनी प्रकृति में अचानक या परिस्थितिवश भी हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाई-लिखाई का अनुभव सप्रयास और पूर्व-नियोजित कार्यक्रम के तहत होता है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति के व्यवहार की पूर्व निर्धारित अवधारणाओं में बदलाव लाना है। आप इस पाठ्यक्रम के पाठों को पढ़ने के दौरान ऐसे ही एक अनुभव से गुजर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शिक्षा का संस्कृति से क्या संबंध है? पिछली पीढ़ियों से विरासत में मिलने वाले अनुभवों और उपलब्धियों का सार संस्कृति है। सामूहिक रूप से जुटाये गये इन अनुभवों और उपलब्धियों को आगे बढ़ाने की व्यवस्थित प्रक्रिया को हम शिक्षा कह सकते हैं। इसलिये शिक्षा न सिर्फ सांस्कृतिक धारणाओं और विचारों का प्रसार करती है बल्कि खुद इसका भी निर्माण सांस्कृतिक धारणाओं के अनुरूप ही होता है क्योंकि संस्कृति से ही इसका जन्म होता है। इसलिये संस्कृति में बदलाव आने के साथ ही शिक्षा पद्धति में भी बदलाव आ जाता है। इस पाठ में हम प्राचीन काल से चली आ रही शिक्षा पद्धति के क्रमिक विकास के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि भारतीय समाज अपने सदस्यों की शिक्षा को एक प्राथमिक दायित्व के रूप में लेता है।



उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप:—

- भारतीय इतिहास के विभिन्न युगों के दौरान शिक्षा की प्राचीन, माध्यमिक और आधुनिक प्रकृति का वर्णन कर सकेंगे;



टिप्पणी

- जैन और बौद्ध शिक्षा व्यवस्था के योगदान का मूल्यांकन कर सकेंगे;
- समाज में महिलाओं को उपलब्ध शिक्षा के अवसर तथा उनके स्वरूप के संदर्भ में उनकी शैक्षिक स्थिति का मूल्यांकन कर सकेंगे;
- मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ शिक्षा से संबंधित उठाये गये कदमों का उल्लेख कर सकेंगे;
- शिक्षा को ज्यादा तर्कसंगत बनाने में मुगलों की भूमिका की सराहना कर सकेंगे;
- औपनिवेशिक काल के दौरान पश्चिमी शिक्षा के विस्तार के प्रभाव की जाँच कर सकेंगे; तथा
- स्वतंत्र भारत में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे कि प्रारम्भिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की भूमिका का मूल्यांकन कर सकेंगे।

18.1 प्राचीन युग में शिक्षा

18.1.1 वैदिक युग

प्राचीन काल में गुरु उन्हीं शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे जो उनके चारों तरफ रहते थे और उन्हीं के आश्रय में उनके परिवार के सदस्य के रूप में रहने आते थे। इस स्थान को गुरुकुल कहा जाता था। गुरुकुल (एक घरेलू विद्यालय) आश्रम की तरह कार्य करता था जहाँ बच्चों की शिक्षा गुरु के द्वारा प्रदान की जाती थी साथ ही गुरु ही उनकी देखभाल भी करते थे।

मुख्य रूप से शिक्षा उच्च जाति का विशेषाधिकार थी। गुरु और शिष्य के बीच अध्ययन एक आत्मीय रिश्ता था जिसे गुरु शिष्य परम्परा कहा जाता था। अध्ययन की शुरुआत एक धार्मिक अनुष्ठान, उपनयन संस्कार (पवित्र सूत्र अनुष्ठान) से होती थी। आमतौर पर शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। इसमें वेद और धर्म शास्त्रों को पूरा या एक-एक अंश को कंठस्थ (याद) करना होता था। बाद में विभिन्न विषयों जैसे कि व्याकरण, तर्कशास्त्र, आधि-भौतिकी आदि पढ़ाया जाने लगा।

18.1.2 मौर्य काल

मैत्रायणी उपनिषद् में वर्णित है कि ज्ञान, विद्या, चिन्तन और तपसु की परिणति है। आत्म विश्लेषण से मनुष्य सत्त्व, मन की पवित्रता और आत्मसन्तुष्टि को क्रमशः प्राप्त कर सकता है। इस समय में स्वाध्याय ही सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करने का उचित मार्ग समझा जाता था। इसका सर्वोत्तम उदाहरण तैत्तिरीय उपनिषद् में मिलता है जहाँ वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता के पास जाता है और उन्हें 'ब्रह्म क्या है?' पढ़ाने को कहता है। पिता उसको बताता है कि इसे 'ध्यान' से जानो। मौर्य और उत्तर मौर्य काल में भारतीय समाज में गहन परिवर्तन की



भारत में शिक्षा

प्रक्रिया चल रही थी। शहरीकरण और व्यापार के कारण व्यापारियों ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। इसके परिणामस्वरूप व्यापारियों के संघ शिक्षा प्रदान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। ये संघ तकनीकी शिक्षा के केन्द्र बन गए और खनन, धातु विज्ञान बढ़ईगिरी, कपड़ा बुनने, रंगाई करने की विद्या प्रदान करते थे। निर्माण और वास्तुकला में नया परिवर्तन हो रहा था। नगरीय जीवन के उद्भव के साथ वास्तुकला की नई शैलियों का विकास हुआ। संघों ने समुद्र यात्रा के नाविकों की सहायता के लिए या नौवाहिनी के लिये नक्षत्रों की स्थिति का अध्ययन, अर्थात् खगोल विज्ञान को भी बढ़ावा दिया। खगोल वैज्ञानिक और सृष्टि वैज्ञानिकों के बीच समय (टाईम) को लेकर बहस आरंभ हो गयी। इस बहस के परिणामस्वरूप समय की नयी अवधारणा विकसित हुई, जो पुरानी अवधारणाओं से अलग थी। चिकित्सकीय ज्ञान आयुर्वेद के रूप में व्यवस्थित हुआ। वात, पित्त और कफ भारतीय आयुर्विज्ञान का आधार बने। तीनों का सही अनुपात में होना स्वस्थ शरीर के लिये आवश्यक था। जड़ी-बूटियों की चिकित्सकीय विशेषताओं की जानकारी और उनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा। दवाइयों के लिये चरक और शल्य क्रिया के लिये सुश्रुत प्रसिद्ध थे। चरक द्वारा लिखित चरकसंहिता चिकित्सा विज्ञान विषयक प्रामाणिक और विस्तृत ग्रन्थ था। आपने चाणक्य के विषय में तो सुना ही होगा जो एक अतिप्रसिद्ध दार्शनिक, विद्वान और शिक्षक थे। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उल्लिखित पाठ्यक्रम अधिकतर राजकुमारों की शिक्षा के विषय में है। उपनयन संस्कार के बाद राजकुमार चारों वेद सीखते थे और वैदिक अध्ययन में विज्ञान की शिक्षा भी सम्मिलित होती थी। वे तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति का भी अध्ययन करते थे। उस समय की शिक्षा प्रमुखतया जीवन कौशल विषयक होती थी जो आज की शिक्षा से बिल्कुल भिन्न थी। रामायण काल में राजकुमारों के पाठ्यक्रम में धनुर्वेद, नीतिशास्त्र, हाथियों और रथों की शिक्षा, आलेख्य और लेखन (चित्रकला और लेखन) लंघन (कूदना) अर्थशास्त्र (Economics) आदि विषय सम्मिलित थे।

18.1.3 गुप्त काल

गुप्त काल में जैन और बौद्ध व्यवस्था ने एक भिन्न आयाम ग्रहण कर लिया। बौद्ध मठ छात्रों को दस वर्षों के लिये दाखिला देते थे। पढ़ाई की शुरुआत मौखिक रूप से होती थी। उसके बाद साहित्यिक पाठ्यपुस्तकों को पढ़ना होता था। मठों में पुस्तकालय भी होते थे। महत्वपूर्ण पाण्डुलिपियों की नकल करके उन्हें रखा जाता था। अन्य देशों जैसे चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया से विद्यार्थी बौद्ध मठों में शिक्षा प्राप्त करने आते थे। आमतौर पर इन मठों की देखभाल राजा और गाँव के धनी व्यापारियों द्वारा की जाती थी। वे बहुत दूर दराज से विद्वानों को आकर्षित करते थे। फाह्यान ने पाटलिपुत्र के मठ में कई साल बिताए और बौद्ध धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन किया। पाटलिपुत्र के अतिरिक्त शिक्षा के अन्य केन्द्र भी थे जैसे वाराणसी, मथुरा, उज्जैन और नासिक। नालन्दा विश्वविद्यालय सम्पूर्ण एशिया में विद्वत्ता के उच्च स्तर के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर वेदान्त, दर्शन, पुराणों का अध्ययन, रामायण, महाभारत, व्याकरण, तर्कशास्त्र, नक्षत्रविज्ञान, चिकित्सा शास्त्र आदि पढ़ाए जाते थे। दरबार की भाषा संस्कृत ही शिक्षा का माध्यम थी। जैन धर्मावलम्बियों में संस्कृत



साहित्य जैसे आदिपुराण और यशस्तिवलक आदि ग्रन्थों का शिक्षा के लिये शुरुआती दौर में प्रयोग किया। लेकिन शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए प्राकृत तथा प्रांतीय भाषाओं जैसे कन्नड़, तमिल आदि का इस्तेमाल कर इसे बहुमुखी बनाया गया। जैन और बौद्ध पुस्तकालयों में किताबें ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थीं जिनको एक साथ बाँधा जाता था और इसीलिये इन्हें ग्रंथ कहा जाता था। जैनियों और बौद्धों को धीरे-धीरे राजाओं का संरक्षण मिलना बंद होता गया और जल्दी ही बौद्ध मठ शिक्षा और अध्ययन के केन्द्र के रूप में अप्रसिद्ध होने लगे। ब्राह्मणों की सहायता से चलने वाले मठ जैन और बौद्ध मठों की तरह समानांतर संस्थाएँ थीं। मठों की कार्यविधि आश्रमों की तरह ही होती थी।

18.1.4 परवर्ती गुप्तकाल

कला और शिक्षा के क्षेत्र में हर्ष के समय बहुत उन्नति हुई। उन्होंने सभी स्तरों पर शिक्षा को बढ़ावा दिया। शिक्षा मन्दिरों और मठों में दी जाती थी और उच्च शिक्षा तक्षशिला, उज्जैन, गया और नालन्दा के विश्वविद्यालयों में। नालन्दा में ह्वेनसांग ने कई वर्षों तक बौद्ध धर्म ग्रन्थों का अध्ययन किया। एक सुप्रसिद्ध विद्वान शिलाभद्र इसका प्रधानाचार्य होता था।

7वीं और 8वीं शताब्दी में, मंदिरों से जुड़े घटिका या कालेजों का शिक्षा के नये केन्द्र के रूप में उदय हुआ। घटिका ब्राह्मणवादी शिक्षा मुहैया करवाते थे। इन संस्थाओं की शिक्षा का माध्यम संस्कृत होता था। इन मंदिर कॉलेजों में प्रवेश की अनुमति केवल उच्च जाति और 'द्विज' (दो बार जन्म लेने वाले) को थी। संस्कृत को लिखने-पढ़ने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने के कारण आम जनता शिक्षा से दूर हो गयी थी। केवल समाज के सबसे ऊंचे तबके को ही शिक्षा का विशेषाधिकार था।

18.2 शिक्षा का उद्देश्य

प्राचीन भारत में शिक्षा एक व्यक्तिगत रुचि का मामला थी। शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करना था। छात्र की आत्मोन्नति और आत्मतुष्टि एवं स्वयं पूर्ति के रूप में शिक्षा के इस दृष्टिकोण से इसके अपनी तकनीक, नियम और प्रणाली बनाए गए। यह माना जाता था कि एक व्यक्ति के विकास का अर्थ उसके मन को प्रशिक्षित करना होता था जो कि ज्ञान को प्राप्त करने का यंत्र है। यह ज्ञान उसकी रचनात्मक क्षमता को समृद्ध करता है। चिंतन के सिद्धांत 'मनन शक्ति' को चिंतन के विषय से ऊंचा मानते थे। इस प्रकार शिक्षा का मूल विषय मन ही था।

18.3 विषय

(एप्लायड) प्रायोगिक विज्ञान जैसे कि धातु विज्ञान, ईट पकाना, पॉलिश करना या चमकाना, क्षेत्र या आयतन को नापने का कार्य आदि प्राचीन भारत के लोगों को पता था। वैज्ञानिक औषधीय प्रणाली उत्तर वैदिक काल में विकसित हुई। तक्षशिला और वाराणसी



टिप्पणी

भारत में शिक्षा

जैसे अध्ययन केन्द्रों में चिकित्सा और औषधि एक विषय के रूप में शुरू हुई। इस क्षेत्र में औषधियों पर 'चरक संहिता' और शल्य क्रिया पर 'सुश्रुत संहिता' दो महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। शल्य क्रिया को सुश्रुत ने 'चिकित्सा शास्त्र का उच्चतम और सबसे कम दोषपूर्ण विभाग कहा है।' गणित में अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित, खगोल विज्ञान और ज्योतिष शामिल था। व्यापार और वाणिज्य में इस्तेमाल होने के कारण गणित में लोगों की अधिक रुचि थी।

आर्यभट्ट द्वारा लिखित 'आर्यभटीय', गणित के क्षेत्र में एक प्रमुख योगदान है। खगोल विज्ञान पर एक और काम 'सूर्य सिद्धांत' है, जिसमें निरीक्षण के तरीकों और उपकरणों का विवरण है जो न तो सटीक है न ही प्रभावी।


हड़प्पा सभ्यता के समय के ताँबा और कांस्य के अवशेषों से उस समय में रसायन-विज्ञान और धातु विज्ञान के विकसित होने का पता चलता है। चमड़े को साफ करना, रंगना, नरम करना उस समय ज्ञात था।

18.4 भाषा

प्राचीन भारत में संस्कृत भाषा का उपभोग संपन्न लोगों ने किया था। यह ब्राह्मणों की शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती थी। संस्कृत पढ़े-लिखे उच्च जाति के लोगों के साथ-साथ हिन्दु शासकों तथा दरबारियों की भाषा थी। बौद्ध धर्म के उदय के साथ-साथ प्राकृत एक भाषा के रूप में विकसित हुई। यह जनता की भाषा बन गयी थी। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में 'प्राकृत' भाषा का इस्तेमाल किया। यह भी बड़ी रोचक बात है कि संस्कृत नाटकों में महिला पात्रों और सेवक पात्रों को औपचारिक प्राकृत भाषा में ही बुलवाया जाता था। पालि प्राकृत भाषा की ही एक और प्रकार थी। ज्यादातर बौद्ध रचनायें पालि और प्राकृत में हैं यद्यपि थोड़ी बहुत संस्कृत में भी हैं। एक और भारतीय आर्य भाषा अपभ्रंश थी, जो गुजरात और राजस्थान में कविताओं की रचना में जैन लेखकों द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। तमिल, तेलगु, कन्नड़ और मलयालम आदि द्रविड़ भाषाओं का भी दक्षिणी भारत में इस्तेमाल होता था। उस समय के साहित्य में इस भाषा की अभिव्यक्ति है।

समाज में महिलाओं का स्थान संतोषजनक नहीं था। शादी से पहले तक पिता की और बाद में पति की सम्पत्ति के अलावा और कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। पढ़ने के लिये घर के बाहर लड़कियों को भेजने के खिलाफ एक आम पूर्वाग्रह था। ऐसी मान्यता थी कि उन्हें घरेलू कामकाज, पति और बच्चों की सेवा और देखभाल करना सीखना चाहिये हालांकि हम संस्कृत में शिक्षित महिलाओं के कुछ अपवाद भी देखते हैं।

प्राचीन भारत की उन्नति का सबसे अच्छा उदाहरण नालंदा का विश्वविद्यालय था। ह्वेन सांग (Huien Tsang) एक प्रसिद्ध चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा और शोध के लिये उच्च विश्वविद्यालय के रूप में वर्णित किया। नालन्दा विचारों के विभिन्न संघों के रूप में भी जाना जाता था जैसा कि उन विद्यार्थियों ने वर्णन किया है जिनके अपने छात्रावास होते थे। राजा बालपुत्रदेव ने उन विद्यार्थियों के लिए एक मन्दिर बनवाया जो जावा से नालन्दा पढ़ने आते थे।



पाठगत प्रश्न 18.1

1. शिक्षा का संस्कृति से क्या सम्बन्ध है?
.....
2. 'उपनयन' संस्कार किसे कहते हैं?
.....
3. प्राचीन भारत में शिक्षा कहाँ दी जाती थी?
.....
4. प्राचीन औषध व्यवस्था का मूलाधार क्या था?
.....
5. प्राचीन भारत में जैनियों द्वारा किन दो साहित्यिक ग्रन्थों का उपयोग शिक्षा में किया जाता था?
.....
6. क्या कारण थे जिनके चलते सामान्य लोगों ने प्राचीन काल में शिक्षा से अपने को अलग कर लिया था?
.....



टिप्पणी

18.5 मध्यकालीन भारत में शिक्षा

दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद शिक्षा की मुस्लिम प्रणाली प्रचलित हुई। मध्यकालीन भारत में शिक्षा का विकास बगदाद के अब्बसिदों के मार्गदर्शन में पारंपरिक शिक्षा की तरह ही विकसित हुआ। इसके परिणामस्वरूप समरकन्द, बुखारा, ईराक जैसे देशों के विद्यार्थी मार्गदर्शन के लिये भारतीय विद्वानों से संपर्क करने लगे थे। अमीर खुसरों का व्यक्तित्व एक उदाहरण स्वरूप मौजूद है। उन्होंने न केवल गद्य और कवितायें लिखने की कुशलता को विकसित किया बल्कि एक ऐसी नई भाषा को विकसित किया था जो उस समय की स्थानीय परिस्थिति के उपयुक्त थी। कुछ समकालीन इतिहासकार जैसे मिनहाजउस-सिराज, जियाउद्दीन बरनी और अफीफ ने भारतीय विद्वानों के विषय में लिखा। भारतीय विद्वता के प्रमाण थे।

प्राथमिक शिक्षा देने वाले संस्थानों को मकतब के नाम से जाना जाता था। जबकि उच्च शिक्षा संस्थानों को मदरसा कहा जाता था। आमतौर पर मकतब जनता के चंदे से चलता था। मदरसों की देख-रेख शासकों और जागीरदारों द्वारा की जाती थी। छः विभिन्न प्रकार के संस्थान हुआ करते थे, (i) शासक और जागीरदारों द्वारा स्थापित और चलाये जाने वाले,



टिप्पणी

भारत में शिक्षा

(ii) वे जो राज्य के अनुदान और सहयोग से विद्वानों द्वारा शुरू किये जाते थे, (iii) वे जो मस्जिदों के साथ जुड़े होते थे, (iv) वे जो मकबरों के साथ जुड़े होते थे, (v) वे जो व्यक्तिगत विद्वानों द्वारा शुरू किये और चलाये जाते थे, (vi) और वे जो सूफी विचारों के साथ जुड़े होते थे। कुछ प्रसिद्ध मदरसे जैसे दिल्ली के मुइज्जी, नासिरी और फिरौजी के मदरसे, बीदार का महमूद गवनी का मदरसा और फतेहपुर सीकरी में अबुल फज़ल का मदरसा था। सीराते-फिगुज़ शाही ने चौदह विषयों की एक सूची दी जो मदरसों में पढ़ाये जाते थे जैसे न्यायशास्त्र, या दीरात जो कि विराम-चिह्न और कुरान को पढ़ने की विधि थी।

मुस्लिम शिक्षा पद्धति का यह लक्षण था कि— मुस्लिम शिक्षा प्रणाली मूलरूप में पारंपरिक तथा विषयवस्तु में आस्तिक थी। पाठ्यक्रम मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित था, एक पारंपरिक (मनकलात) दूसरा तार्किक और वैज्ञानिक (माकुलात)। पारंपरिक विज्ञान में कानून, इतिहास और साहित्य आता था। तर्क, दर्शन, आयुर्वेद (दवाई, इलाज) गणित और खगोल विज्ञान तर्क संगत विज्ञान में आता था। बाद में पारंपरिक विज्ञान से ज्यादा तर्क संगत विज्ञान पर जोर दिया जाने लगा। पारंपरिक विषय इल्तुतमिश (सन् 1211-36) के समय से सिकंदर लोदी (सन् 1489-1517) के समय तक शिक्षा पर प्रभावी थे। यह परिदृश्य उस समय से बदलने लगा जब सिकंदर लोदी ने अपने भाई शेख अब्दुल्ला और शेख अजीजुल्ला को मुलतान से दिल्ली में बुलवाया था। उन्होंने पाठ्यक्रम में दर्शन और तर्क के अध्ययन को शामिल कर गया था।

मुगलों के समय में शिक्षा व्यवस्था

मुगलकाल में शिक्षा और अधिगम के क्षेत्रों में बहुत अधिक तरक्की हुई। मुगल शहंशाहों को सीखने से बहुत प्यार था और उन्होंने शिक्षा का पाठशालाओं, विद्यापीठों, मकतबों और मदरसों के माध्यम से प्रसार करने में बहुत योगदान किया। अकबर शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान दिया करता था। उन्होंने जामामस्जिद के पास एक महाविद्यालय भी खोला। उस समय शिक्षा एक राज्य-विषय नहीं था। सामान्यतया मन्दिर और मस्जिद ही प्राथमिक शिक्षा के केन्द्र थे। वे शासकों, धनिकों और दानियों द्वारा दिए गए दान पर निर्भर थे। संस्कृत और फारसी मन्दिरों और मस्जिदों में पढ़ाई जाती थी। नारियों की शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। शादी और समृद्ध परिवारों की महिलाएँ घर पर ही पढ़ती थीं।

मुगल शासक शिक्षा और साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक थे। इस काल में उर्दू का भाषा के रूप में उदय हुआ जो फारसी और हिन्दी में लम्बे सम्पर्क के कारण बन पाई अर्थात् तुर्क और भारतीय। बाबर ने अपनी जीवनी ताजुके बाबरी लिखी।

भारत में शिक्षा

दिल्ली के मदरसों में गणित, खगोल, विज्ञान और भूगोल के अध्ययन को शामिल कर मुगल सम्राट हुमायूँ ने शिक्षा को और ज्यादा तर्क संगत बनाया था। परिणामस्वरूप तत्कालीन प्रणाली में विद्यमान 'पूर्वाग्रह' कम हो गया था। काफी हिन्दू फारसी पढ़ने लग गये थे और



टिप्पणी

संस्कृत से फारसी में अनुवाद का काम भी हुआ था। अकबर ने लोक लेखा (अकाउंट) प्रशासन, रेखागणित और ऐसे कई विषयों को जोड़ा था। उन्होंने अपने महल के बिल्कुल पास एक कार्यशाला बनवाई थी और उसकी देखभाल स्वयं करते थे। अकबर ने एक धर्मनिरपेक्ष वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली लागू करने की कोशिश की थी, पर रूढ़िवादियों द्वारा इसे पसंद नहीं किया गया। अकबर ने एक परिवर्तन की शुरुआत की थी, जो सदियों तक चलती रही। 18वीं सदी में कुछ संपन्न लोग शिक्षा में पश्चिमी तरीकों को शामिल करने के खिलाफ थे जिसमें खोज, पर्यवेक्षण, तहकीकात और प्रयोग आदि शामिल थे। पाठ को याद करना, चर्चा करना और लिखना मुस्लिम मदरसों में पढ़ाने का आधार था।

अकबर ने बहुत से विद्वानों को संरक्षण दिया जैसे अबुल फजल, फैज़ी, राजा टोडरमल, बीरबल और रहीम। वे उनके दरबार के नवरत्न थे जिन्होंने संस्कृति और शिक्षा के प्रसार में सहयोग दिया।



पाठगत प्रश्न 18.2

खाली स्थान भरें

1. मध्य काल में किन संस्थाओं ने विद्यालयी शिक्षा का प्रावधान किया?

.....

2. मध्य काल में कौन मदरसों की देखभाल करते थे?

.....

3. मध्य काल के कुछ प्रसिद्ध मदरसों के नाम लिखिए।

.....

4. मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ क्या थीं?

.....

5. मध्य काल में पश्चिमी देशों ने किन विधियों को अपनाया?

.....

6. अकबर ने शिक्षा में क्या-क्या परिवर्तन किए?

.....



टिप्पणी

18.6 आधुनिक काल में शिक्षा

18.6.1 18वीं शताब्दी-आधुनिक काल का प्रारम्भ

भारत में सामाजिक जीवन के अन्य पक्षों की भांति शिक्षा के क्षेत्र में भी विगतशताब्दियों के कुछ पारम्परिक लक्षण चलते रहे। उच्च शिक्षा के प्राचीन प्रसिद्ध केंद्र जैसे तक्षशिला, नालन्दा, भागलपुर के पास विक्रमशिला, उत्तरी बंगाल में जगद्दल, काठियावाड़ में वल्लभी और दक्षिण में कांची बहुत पहले ही समाप्त हो चुके थे। इसके विपरीत इस्लामी शिक्षा शासकों और सम्भ्रान्त पुरुषों के संरक्षण में धीरे-धीरे पनपने लगी। फिर भी अधिकांश हिन्दु अपने समय के प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्रों में ही शिक्षा प्राप्त करते रहे और भाषाई साहित्य की उन्नति के साथ उन्होंने अपने शास्त्रों का भी अध्ययन किया। थामस ने 1891 में लिखा-कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जहाँ ज्ञान का प्रेम इतने पहले उदय हुआ हो या जिसका प्रभाव इतना चिरस्थायी और शक्तिशाली रहा हो। उसके अनुसार 'अंग्रेजों ने भारत में प्रारम्भिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की व्यवस्था देखी जिनमें से पहली मुख्यतया प्रायोगिक थी और दूसरी मूलतः साहित्यिक, दार्शनिक और धार्मिक।

लगभग डेढ़ सौ सालों तक अंग्रेज व्यापार और विजय हासिल करने में व्यस्त रहे और इस तरह उन्होंने शिक्षा के विकास सहित सभी तरह की सांस्कृतिक गतिविधियों से दूरी बनाये रखी। सन् 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा शुरू करने के साथ ओरियेंटल कॉलेज की शुरुआत भी की थी। उसके ये कदम मुख्य रूप से प्रशासनिक कारणों से थे। ग्यारह साल बाद सन् 1792 में वाराणसी निवासी जोनाथन डंकन ने स्थानीय हिंदुओं को शिक्षित करने के लिये वाराणसी में एक संस्कृत कालेज आरंभ किया जिससे वे यूरोपीय लोगों के सहायक बन सके।

उन्हीं दिनों ईसाई मिशनरियों ने प्राथमिक स्कूल खोलकर निम्न वर्गों के साथ-साथ अछूत लोगों को शिक्षा मुहैया करवाकर पश्चिमी शिक्षा को लागू करने का प्रयास किया।

18.6.2 उन्नीसवीं शताब्दी

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध को शैक्षणिक प्रयोगों का समय कहा जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सन् 1813 के चार्टर ऐक्ट द्वारा कंपनी ने एक लाख रुपया अलग से रख दिया ताकि साहित्य का पुनरुद्धार और प्रगति हो सके तथा पढ़े-लिखे भारतवासियों का उत्साहवर्धन और भारत में अंग्रेजों द्वारा शासित प्रांतों के लोगों में वैज्ञानिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया जा सके। प्राचीन शिक्षाविदों और आंग्लवादियों के बीच एक विवाद चला जिसे अन्ततः सन् 1935 के मैकाले के मिनट और बेन्टिक के प्रस्ताव ने हल कर दिया। यह तय हुआ कि यूरोपीय साहित्य और विज्ञान के प्रचार-प्रसार के लिये इस धन का इस्तेमाल किया जायेगा। विलियम बेन्टिक ने अंग्रेजी को सरकारी काम काज की भाषा के रूप में अपनाया। सन् 1844 में लार्ड हेस्टिंग्स ने तय किया कि जो भारतीय अंग्रेजी में शिक्षित होंगे, उन्हें ही रोजगार दिया जायेगा।



टिप्पणी

सन् 1854 में वुड के घोषणापत्र ने शिक्षा नीति के उद्देश्य को स्पष्ट किया जो कि अंग्रेजी या अन्य कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा के माध्यम से 'यूरोप' की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन और साहित्य की शिक्षा का प्रचार था। दस्तावेज में सुझाव दिया गया था कि बंबई (मुम्बई), मद्रास (चेन्नई) और कलकत्ता (कोलकाता) में विश्वविद्यालय स्थापित करने चाहियें। इसने निजी संस्थानों, अनुदान अनुमोदन प्रणाली, स्कूलों में शिक्षकों के प्रशिक्षण, महिला शिक्षा और ऐसे ही अन्य विकास कार्यों पर जोर दिया था। सन् 1857 में बंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। सन् 1882 और 1887 में क्रमानुसार पंजाब और इलाहाबाद में विश्वविद्यालय स्थापित हुए।

18.6.3 बीसवीं शताब्दी का प्रारम्भ

सन् 1901 में लार्ड कर्जन ने सार्वजनिक संस्थानों के निदेशकों के एक सम्मेलन को आयोजित किया जिससे उनके निर्णयों पर आधारित शैक्षणिक सुधारों के एक युग का सूत्रपात हुआ। सन् 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ था, जिससे विश्वविद्यालय शिक्षण कर सकें, कॉलेजों का निरीक्षण कर सकें तथा उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के प्रयास कर सकें।

औपनिवेशिक शासन में जन शिक्षा को नजरअंदाज किया गया था। एक शहरी शिक्षित तबके के निर्माण का प्रयास किया गया जिससे यह तबका शासक और शासित के बीच बिचौलिये की भूमिका निभा सके। हाई स्कूल और विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर परीक्षा प्रणाली पर जोर दिया गया था। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव एक समान नहीं था तथा शिक्षा का प्रसार गांवों से अधिक शहरों में हुआ। इसका सकारात्मक पहलू यह था कि इसने पढ़े लिखे राजनीतिक नेताओं व समाज सुधारकों का एक तबका पैदा किया जिन्होंने आजादी के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्र और प्रचार पत्रों ने जनता के बीच जागरूकता पैदा की।

18.6.4 अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव

अंग्रेजों ने स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया क्योंकि उन्हें प्रशासनिक कार्यालयों में क्लर्कों और बाबुओं की आवश्यकता थी। इससे भारत में लोगों की एक नई श्रेणी का जन्म हुआ जिन्होंने बाद में प्रशासन के कई पक्षों में और शासन में सहायता की। परिणामस्वरूप भारत में आई ईसाई मिशनरियों ने विद्यालय खोलने प्रारम्भ किए जहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। भारत में आप ऐसे कई स्कूल आज भी देख सकते हैं। बहुत से भारतीयों ने अपने बच्चों को इन विद्यालयों में भेजा क्योंकि वे सोचते थे कि इससे उन्हें सरकारी कार्यालयों में नौकरी मिल सकेगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमें 1947 में अंग्रेजी राज्य से स्वतन्त्रता मिली और स्वतन्त्र भारत की भारत सरकार को अपनी जनता के लिए शिक्षा की योजनाएँ बनाने का उत्तरदायित्व संभाला।



भारत में शिक्षा

क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी की शिक्षा अंग्रेज शासकों ने अपने हित में प्रारम्भ की थी परन्तु यह भारतीयों के लिए एक अन्य रूप में लाभदायक सिद्ध हुई। भारत के विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोग अलग-अलग भाषाएँ बोलते थे और कोई भाषा ऐसी नहीं थी जिसे सभी समझते हों। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी के प्रयोग ने एक ऐसी भाषा का प्रावधान किया जा पूरे देश में प्रचलित हो गई और समान कही सिद्ध हुई। अंग्रेजी पुस्तकें और समाचार पत्र समुद्र पार से अन्य देशों से नये विचार लाने लगे। स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र, समानता, भ्रातृत्व आदि के नये पश्चिमी विचार अंग्रेजी पढ़े भारतीयों के विचारों को प्रभावित करने लगे जिसने राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। शिक्षित भारतीय अब अंग्रेजी राज्य से छुटकारा पाने के लिए सोचने लगे।

18.7 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में शिक्षा

व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये उन लोगों के लिये शिक्षा के एकीकृत कार्यक्रमों के लिए उपाय करने आवश्यक हैं, जिनके आर्थिक विकास के स्तर भिन्न-भिन्न हैं और जो भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण विकसित वर्गों से अलग हैं। इन कार्यक्रमों के आधार रूप में एक समान पाठ्यक्रम होना भी अनिवार्य है ताकि विविधता में एकता को सुदृढ़ करने के साथ-साथ देश के एक भाग से दूसरे भाग में आवागमन सुगम हो सके।

यदि शिक्षा के प्रसार के लिये यथोचित कदम नहीं उठाये गये तो आर्थिक विभेदों की खाई, क्षेत्रीय असंतुलन तथा सामाजिक अन्याय बढ़ता जायेगा जो समाज में कई प्रकार के तनावों को जन्म देगा। इसी कारण कोठारी शिक्षा आयोग (सन् 1964-66) के प्रतिवेदन में सन् 1966 में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि शांतिपूर्ण सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र साधन शिक्षा है। इसी उद्देश्य से सन् 1976 में संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया जिसका अर्थ था कि शिक्षा केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी होगी।

18.7.1 प्रारंभिक शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम आठ वर्षों की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। यही वह स्तर है जहाँ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, अभिवृत्तियों, सामाजिक, आत्मविश्वास, आदतों जीवन कौशलों तथा सम्प्रेषण कौशलों की क्षमताओं का विकास होता है। इसी को ध्यान में रखते हुये भारतीय संविधान के (Article -45) के तहत राज्यों को चौदह वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने का निर्देश दिया गया है। संवैधानिक संशोधन के अन्तर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रारम्भिक शिक्षा की अवधि को अब निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की अवधि के रूप में स्वीकृत किया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन् 1986 में प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत महत्व दिए जाने वाले क्षेत्र हैं—



टिप्पणी

- (क) सार्वभौमिक पहुँच और पंजीकरण
- (ख) स्कूल में 14 वर्ष की उम्र तक सभी बच्चों के लिये सार्वभौमिक ठहराव।
- (ग) शिक्षा की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार ताकि सभी बच्चे अध्ययन के आवश्यक स्तर को प्राप्त कर सकें।

सर्वशिक्षा अभियान- केन्द्रीय सरकार का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम 2001 में प्रारम्भ हुआ इस अभियान के अन्तर्गत सरकार का लक्ष्य था कि 2010 तक 6-14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाये।

18.7.2 माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा एक अत्यधिक शारीरिक परिवर्तन और पहचान के निर्माण का समय है। यह विशिष्ट अभिव्यक्ति और शक्ति का भी समय है।

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण विस्तार हुआ है। इसमें 14 से 18 (कक्षा 9-12) आयुवर्ग के बच्चे आते हैं। 2001 की जनगणना के हिसाब से 88.5 मिलियन बच्चे माध्यमिक शिक्षा में भर्ती हुए। हालांकि नामांकन सूत्र दिखाते हैं कि इनमें से केवल 31 मिलियन बच्चे 2001-2002 में स्कूल गये। जबकि स्कूलों और दाखिले में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई वहीं शिक्षकों की संख्या में कम बढ़ोतरी हुई। यह स्पष्ट है कि कुल रूप से इसने गुरु-शिष्य के अनुपात को प्रभावित किया। जैसे-जैसे देश शिक्षा के सार्वभौमिकरण की ओर आगे बढ़ेगा वैसे-वैसे स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए भी दबाव बढ़ता जायेगा। यद्यपि भारत में जो भी विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा (दसवीं कक्षा तक) ग्रहण करना चाहे वह कर सकता है किन्तु उच्च प्रारंभिक कक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों में से आधे से अधिक माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश नहीं लेते। प्रारंभिक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के पश्चात् केन्द्रीय सरकार अब माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है जिसका प्रावधान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया है और जिसके बारे में हम सेक्शन 18.9 के अन्तर्गत पढ़ेंगे।

व्यावसायिक शिक्षा- व्यावसायिक शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर एक अलग तरह की शिक्षा है। इसका उद्देश्य, विद्यार्थियों को एक विशिष्ट रोजगार के लिये तैयार करना है जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं। सन् 1968 में लागू की गई पहली शिक्षा नीति में अपनाये गये सुधारों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना था। किन्तु इस दिशा में किये गये प्रयत्न फलीभूत नहीं हो सके। यद्यपि आशा की गयी थी कि +2 स्तर पर पचास प्रतिशत तक विद्यार्थियों के नाम स्कूल में दर्ज होंगे किन्तु वास्तव में यह संख्या अधिक नहीं रही और केवल कुछ राज्यों तक ही सीमित रही है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिये प्लानिंग कमीशन के अनुसार लगभग 51141 औद्योगिक शिक्षा संस्थान (ITI) होंगे। जो 57 इन्जीनियरिंग और अन्य व्यापारों में प्रशिक्षण देंगे। वर्तमान में इस दिशा में एक सकारात्मक प्रयत्न है एक राष्ट्रीय कौशल विकास और प्रशिक्षण मिशन की स्थापना।



टिप्पणी

भारत में शिक्षा

18.7.3 उच्च शिक्षा- भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने भारत के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की आधारशिला रखी थी, कहा था यदि विश्वविद्यालय सुचारु रूप से चलते रहे तो देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। उच्च शिक्षा का प्रारंभ तब होता है जब एक विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक (कक्षा बारह) शिक्षा पूर्ण कर लेता है। तब वह कालेज या महाविद्यालय में प्रवेश लेता है जो विश्वविद्यालय का ही एक हिस्सा होता है। यद्यपि उच्च शिक्षा को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गयी थी तथापि इस दिशा में की गयी प्रगति अत्यंत रूप से असमान रही है। जहाँ कुछ कालेजों और विश्वविद्यालयों ने शैक्षिक श्रेष्ठता हासिल कर अपनी भूमिका सही ढंग से निभाई है वहीं देश के अधिकांश कालेजों और विश्वविद्यालयों की सामान्य दशा देश के लिये एक चिंता का विषय है।

उच्च शिक्षा में नामांकित 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या अत्यंत कम है। यह अनुपात कई प्रदेशों में तो बहुत ही कम है विशेष रूप से स्त्रियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संबंध में। ग्रामीण क्षेत्रों में तो अच्छे स्तर की उच्च शिक्षा नाममात्र को है। विभिन्न कालेजों में सुविधाओं के स्तर में भी अंतर है। यह आवश्यक है कि विभिन्न कालेजों में दी जाने वाली शिक्षा के पाठ्यक्रमों में समानता हो तथा ऐसे विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जायें जो व्यक्ति के जीवन और व्यक्तित्व विकास के लिये आवश्यक हों तथा विद्यार्थियों में विवेक, बुद्धि, जिज्ञासा तथा सीखने समझने की क्षमता का विकास करें। राज्य ने उच्च शिक्षा के लिये आर्थिक सहायता प्रदान कर उसे काफी सस्ता बनाया है। शुल्क के रूप में कालेज के विद्यार्थी को काफी कम कीमत देनी पड़ती है। उसकी शिक्षा में होने वाले अन्य व्यय राज्य या केन्द्र सरकारों द्वारा वहन किये जाते हैं। यह सार्वजनिक धन है जिसे सोच विचार कर उन्हीं विद्यार्थियों पर खर्च करना चाहिये जो इसके योग्य हैं।

प्रौढ़ शिक्षा- प्रौढ़ों में व्याप्त अशिक्षा को दूर करना भी एक अनिवार्य लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया है। छठी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत पंद्रह से पैंतीस वर्ष की आयु के वयस्कों में शिक्षा के प्रसार को स्थान दिया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय साक्षरता अभियान (NLM) का लक्ष्य 80 मिलियन अशिक्षित व्यक्तियों को। कार्यकारी साक्षरता प्रदान करना और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण (IVET) देना है। स्वतन्त्रता के बाद 1951 में 7+ की जनसंख्या में साक्षरता दर 18.3% थी जो 2011 में 74% तक बढ़ गई। पुरुष साक्षरता दर 82.14% है और महिला साक्षरता दर 74% है। तकनीकी शिक्षा के महत्त्व से इंकार करना असंभव है। भारत में प्रशिक्षित जन शक्ति का बड़ा भंडार है। तकनीकी शिक्षा और प्रबंधन शिक्षा के पाठ्यक्रमों को उद्योगों की वर्तमान और अनुमानित जरूरतों के मुताबिक बनाया गया। देश के वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास में ये तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति शक्ति का स्रोत रहे हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि हमारे अधिक प्रतिभाशाली इंजीनियरों को उस प्रकार की नौकरियों और काम का माहौल नहीं मिल पाता कि वह आर्थिक और मानसिक रूप से संतुष्ट हो सकें। इसके चलते यहाँ बड़े पैमाने पर ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इसका तात्पर्य है या तो वह विकसित देशों में चले जाते हैं अन्यथा प्रबंध क्षेत्रों में। ब्रेन ड्रेन (प्रतिभाओं का पलायन) का अर्थ है- 'जब प्रतिभावान



टिप्पणी

स्त्री या पुरुष जो उच्च शिक्षा प्राप्त और होशियार हों, वे बेहतर आय और सुविधाओं की तलाश में स्वदेश छोड़कर विदेश चले जाते हैं इस स्थिति को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। भारत में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के कई प्रतिष्ठित केन्द्र हैं जैसे भारतीय तकनीकी संस्थान (IIT) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- स्वतंत्रता के पश्चात देश के संसाधनों का एक बड़ा भाग शिक्षा में लगाया गया है। अतः शैक्षणिक संस्थानों से कुशलतापूर्वक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। स्वतंत्रता पश्चात् भारत में शिक्षा की दिशा में सन् 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास, एकरूप नागरिकता तथा संस्कृति की भावना को बढ़ाना तथा राष्ट्र की अखंडता को सशक्त बनाना था। इसने शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन पर जोर दिया ताकि प्रत्येक स्तर पर उसमें गुणात्मक परिवर्तन आ सके उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अधिक बल दिया गया ताकि नैतिक गुणों का विकास हो तथा जन जीवन और शिक्षा में अधिक सार्थक संबंधों की स्थापना हो सके।

यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि पिछले कुछ वर्षों की उपलब्धियों के बल पर ही नयी नीति (सन् 1986) का निर्माण किया गया था। भारत में स्कूलों का पहले से ही एक विस्तृत जाल बिछा हुआ है। लगभग 95 प्रतिशत जनता के एक किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक स्कूल है और 80% जनता माध्यमिक विद्यालय से तीन किलोमीटर दूर है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (सन् 1986) के अनुसार 15-35 आयु-वर्गों के लोगों को साक्षर बनाने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम राष्ट्रीय साक्षरता का मिशन शुरू हुआ।

भारत में दूरदर्शन और रेडियो स्टेशनों का भी राष्ट्रीय नेटवर्क है। एक उपग्रह की उपलब्धता और अधिकांश जनता तक पहुँचने वाले दूरदर्शन का विस्तार वह महत्वपूर्ण तत्व है जो शिक्षण-अधिगम व्यवस्था में क्रांति लाने की ताकत रखते हैं। इनके माध्यम से औपचारिक शिक्षा की संवृद्धि कर शिक्षण व्यवस्था तथा अनौपचारिक शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा को समर्थन देकर इनमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाये जा सकते हैं।

प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालयों (आदर्श स्कूलों) की स्थापना न केवल केन्द्र की शिक्षा के संबंध में प्रतिबद्धता को प्रतिबिम्बित करती है बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में सबकी समानता स्थापित करने की उसकी चिंता को भी प्रकट करती है। इन विद्यालयों के माध्यम से विशेषकर ग्रामीण इलाकों के प्रतिभाशाली विद्यार्थी उत्तम शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ हो सकेंगे चाहे उनके माता-पिता का आर्थिक स्तर कैसा भी हो।

पत्राचार शिक्षा: दूरस्था शिक्षा- भारत में अनेक विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति बीच में ही छोड़नी पड़ती है। इसके भिन्न कारण हो सकते हैं। जैसे आर्थिक, भौगोलिक, शैक्षिक या चिकित्सा संबंधी। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ऐसे शिक्षार्थियों के लिए ही है। पत्राचार संस्थाओं द्वारा भेजे गये अभ्यासों द्वारा कक्षा में उपस्थित हुये बिना ही विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। साथ ही वह विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपनी नौकरियों या व्यवसाय में भी कार्यरत रह सकते हैं।



टिप्पणी

भारत में शिक्षा

दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक के संपर्क में नहीं होता है। वह उससे दूर होता है। खुले विद्यालय माध्यमिक (Class X) और उच्चतर माध्यमिक (Class XII) दोनों स्तर की शिक्षा देते हैं। आपने भी मुक्त विद्यालय में दाखिला लिया है। आप जानते हैं कि अपनी नियमित नौकरी को बनाए रखते हुए भी आप भेजे गए पाठों के द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं। ये पाठ बहुत श्रम से तैयार किये जाते हैं। यह खुली व्यवस्था कहलाती है क्योंकि इनमें विषयों, शिक्षण के माध्यम (भाषा) तथा परीक्षा में लचीलापन है। आप अपनी सुविधानुसार कोई भी विषय चुन कर पाँच सालों में उनकी परीक्षा दे सकते हैं। ओपन स्कूल और इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्व विद्यालय के माध्यम से इसी प्रकार की दूरस्थ शिक्षा की सुविधा दी जा रही है।

इन संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा भारत के प्रत्येक उस नागरिक तक पहुँच सकती है जो इतना भाग्यशाली नहीं है कि औपचारिक नियमित शिक्षा ग्रहण कर सके। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा का तीव्र गति से विस्तार हुआ है। देश के विकास, अखंडता और शिक्षा के क्षेत्र में समानता के हमारे लक्ष्य तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब इस देश का प्रत्येक बच्चा एक न्यूनतम शिक्षा के द्वार तक पहुँच जाये। एक ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता है जो विकास, कठिन परिश्रम तथा श्रेष्ठता के वातावरण को बढ़ावा दे और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति नवीन दृष्टिकोणों और विचारों को प्राप्त भी कर सके और साथ ही उन्हें बढ़ावा भी दे सकें।



आपने क्या सीखा

- वैदिक काल में आश्रमों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो कि मुख्य रूप से उच्च जाति के लिये सहूलियत थी।
- ईसा पूर्व 200 साल से सन् 300 के दौरान गिल्ड द्वारा भी शिक्षा प्रदान की जाती थी जो कि तकनीकी शिक्षा के केन्द्र बन गये थे।
- बौद्ध मठों और शिक्षा की जैन प्रणाली ने विश्व में भारत को एक नेतृत्वकारी अध्ययन केन्द्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।
- दिल्ली सल्तनत स्थापित होने के बाद मुस्लिम शिक्षा प्रणाली ने प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में एक विस्तृत प्रणाली लागू की थी।
- पश्चिमी शिक्षा के लागू होने पर कुछ बुनियादी परिवर्तन हुआ जैसे कि 'अछूतों' सहित समाज के सभी तबके को शिक्षा मुहैया कराना।
- सन् 1986 की शिक्षा की नई राष्ट्रीय नीति स्वातन्त्र्योत्तर भारत में शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था।



पाठांत प्रश्न

1. प्राचीन काल में शिक्षा के विकास को संक्षेप में दर्शाइए।
2. मध्य भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदमों के विषय में विवेचना कीजिए।
3. मुगल काल में शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए गए?
4. 1854 से 1904 तक शिक्षा के विकास की व्याख्या कीजिए।
5. स्वतन्त्र भारत में निरक्षरता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए?



पाठगत प्रश्नों के उत्तर

- 18.1
1. संस्कृति में परिवर्तन के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था भी बदलती है।
 2. शिक्षा की प्रक्रिया उपनयन संस्कार के बाद प्रारम्भ होती है।
 3. आश्रमों में
 4. वायु, कफ और पित्त
 5. आदिपुराण और यशस्तिलक
 6. अ. शिक्षा केवल उच्चवर्गीय समाज का ही विशेषाधिकार था।
ब. शिक्षा में संस्कृत भाषा का प्रयोग
- 18.2
1. मकतब
 2. राजा (शासन) और सामन्तगण
 3. मुइज्जी, नासिरी, फिरुजी (दिल्ली में)
मुहम्मद गवानी का मदरसा (बिहार)
अब्दुल फजल का मदरसा (फतेहपुर सीकरी)
 4. यह भाव में पारम्परिक तथा विषयवस्तु में आध्यात्मिक था
 5. इसके अन्तर्गत शिक्षा में खोज, अवलोकन, जांचपड़ताल और परीक्षण आते थे।
 6. उसने शिक्षा में धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक व्यवस्था प्रारम्भ की।
- 18.3
1. यूरोपियन साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा देना।
 2. विलियम बैटिक



टिप्पणी



भारत में शिक्षा

3. 1904
4. बम्बई, मद्रास और कलकत्ता
5. एक शिक्षित शहरी सुशिक्षित वर्ग तैयार करना जो शासन और शासित के मध्य व्याख्याता का कार्य करे।
6. सामाजिक सुधारकों और सुशिक्षित राजनैतिक नेताओं का एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ जिसने देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन में सहायता प्रदान की।
7. 1976 के संवैधानिक संशोधन के द्वारा
8. 1986 में
9. (अ) सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन
(ब) 14 वर्ष की आयु तक बच्चों की सार्वभौमिक धारण क्षमता
(स) शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार जिससे सभी बच्चे अधिगम के आवश्यक स्तर को प्राप्त कर सकें।
10. यह शिक्षा की प्रमुख धाराओं से बच्चों को परिचित कराती है।
11. (अ) 18-20 वर्ष के आयु वर्ग में छात्रों की उच्च शिक्षा में नामांकन संख्या बहुत कम है।
(ब) उच्च शिक्षा में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का अनुपात चिन्तनीय है।
12. 15-35 वर्ष